श्रीमति रंजु सागर सिंह

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–ता0..से..तक

जिला :– राँची, अंचल–नामकुम गौजा–हेसाग

विविध अपील (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–01/18–19

केस का प्रकार :– विविध (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–16/2018–19 को रद्द करने के संबंध में।

Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी, का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	Action Taken on Order With Date
1	2	3
14.7.20		

आदेश

अभिलेख उप स्थापित। अपीलकर्त्ता, उपस्थित हैं उनका पक्ष सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपीलवाद न्यायालय उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर राँची के विविध (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–16/2018–19 में दिनांक–21.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

अंचल का नाम	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
नामकुम	हेसाग	193	845	0.80 एकड़

अपीलकर्त्ता का कथन है कि जमीनदारी उन्मुलन के बाद वाद ग्रस्त भूमि की जमींदारी उन्मुलन के बाद उक्त जमीन ठाकुर जोगिन्दर नाथ शाहदेव पिता–जगत नारायण शाहदेव के नाम से जमाबंदी कायम हुई। उक्त भूमि को श्री महवुव अंसारी वल्द नजीर अंसारी के द्वारा कय किया गया एवं दाखिल–खारिज वाद सं0–14R27/82–83 के आलोक में उनके नाम जमावंदी कायम हुआ। वर्ष 2002 में उनके मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी मो0 मदीना खातुन के द्वारा श्रीमति रंजु सागर सिंह एवं अन्य नौ लोगों को विधिवत् विकी किया गया। उक्त सभी क्रेतागण के नाम पर जमाबंदी भी कायम है। उक्त सभी क्रेतागण के नामांतरण के समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। अपीलकर्त्ता का आरोप है कि वर्ष–2019 में फर्जी खतियान के आधार पर विविध (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–16/2018–19 दर्ज कर श्री महवुब को नोटिस जारी कर उन्हें अनुपस्थित दिखाते हुए यह वाद एक तरफा पारित किया गया है। अपीलकर्त्ता के नाम पर भी जमाबंदी कायम है किन्तु उन्हें किसी प्रकार की नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही उनका पक्ष सुना गया जबकि श्री महवुब अंसारी जिनकी मृत्यु वर्ष–2002 में हो चुकी है फिर भी उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वाद में पारित आदेश विधि के प्रतिकुल है। अतः इसे निरस्त किया जाय।

निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्त्ता का पक्ष नहीं सुना गया है। जबकि इनके नाम पर जमाबंदी कायम है। अतः इन्हें नोटिस जारी कर इनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए था। अतः विविध (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–16/2018–19 में दिनांक–21.01.2019 को पारित आदेश को निरस्त कर इसे प्रति प्रेषित (Remand Back) किया जाता है। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि पुनः नये सिरे से जांच करवाकर एवं सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–ता0..से..तक

जिला :– राँची, अंचल–नामकुम मौजा–हेसाग

विविध अपील (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–01/19–20

केस का प्रकार :– **विविध (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–16/2018–19** को रद्द करने के संबंध में।

Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी, का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	Action Taken on Order With Date
1	2	3
01/12/20	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में दिनांक–14.07.2020 को आदेश पारित किया गया है। टंकण त्रुटिवश विविध अपील (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–01/19–20 के स्थान पर विविध अपील (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–01/18–19 दर्ज हो गया है। अतः इसे संशोधित कर विविध अपील (जमाबंदी रद्द) वाद सं0–01/19–20 किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 01/12/20 अपर समाहर्त्ता राँची।	01/12/20 अपर समाहर्त्ता राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.04.09 15:30:29 +05:30
Location: 192.168.176.136